मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के पत्रांक 3853 दिनांक 17.5.2017 से पार्ट II, पार्ट III भरा जाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. उप वन संरक्षक उत्तर एवं दक्षिण द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य अध्यावना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
2. यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में दिया गया है इसमें निम्नानुसार कमियां है।
   1. प्रस्ताव में 35.7823 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है जबकि विवरण में गैर वन भूमि 34.4380 है0 को भरा गया है। प्रस्ताव में 1.3443 है0 गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
   2. संलग्न की गई KML File में एरिया 37 है0 दर्शाया गया है। जबकि प्रस्ताव में दी गई गैर वन भूमि का विवरण 34.4380 है0 दर्शाया गया है जिसे संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव में गैर वन भूमि 35.7823 है0 आवंटित कराई जाकर पूर्ण भूमि का विवरण (KML File, DGPS Map & GT Sheet Map) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि (35.7823) का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
4. उप वन संरक्षक उत्तर द्वारा प्रस्ताव में ईको क्लास केटेगरी 3 एवं घनत्व 0.4 भरा गया है जबकि दर घने वृक्षों की चार्ज की गई है। (हार्ड प्रति में) जो कि उचित नहीं है।
5. उप वन संरक्षक दक्षिण द्वारा प्रस्ताव में वन का घनत्व 0.75 बताया गया है जबकि प्रस्ताव में ऑनलाईन 5299 वृक्ष होना अवगत कराया है एवं हार्ड प्रति में दो प्रपत्र 9353 एवं 180 वृक्ष का दिया गया है ऐसी स्थिति में वृक्ष का घनत्व 0.75 दर्शाया जाना सही नहीं है। संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वृक्षों की सूचियां का मिलान ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति में किया जाना है।
6. उप वन संरक्षक दक्षिण उदयपुर द्वारा संलग्न की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में स्थल का नाम एवं प्रत्यावर्तन की जाने वाली भूमि का उल्लेख नहीं है जो किया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं की गई है।
8. यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत वनाधिकार प्रमाण पत्र में गिर्वा उपखण्ड अधिकारी कार्यवाही विवरण एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण में वन भूमि को गैर वन भूमि में रूपान्तरण किये जाने की अनुशंषा की गई है। संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
9. यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न किये गये कास्ट बेनेफिट प्रपत्र में कास्ट बेनेफिट रेशो संलग्न नहीं किया गया है जो अपेक्षित है।
10. प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति का समन्वय सही प्रकार से नहीं किया गया है एवं समस्त पृष्ठों पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही ऑनलाईन किये गये समस्त दस्तावेज हार्ड प्रति में सम्मिलित नहीं है। जो संलग्न किये जाने प्रस्तावित है। प्रस्ताव में एक हार्ड प्रति (मूल) एवं एक प्रति फोटो प्रति जिसमें सभी पृष्ठों पर (वन विभाग द्वारा जारी पत्रों के अतिरिक्त) अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उप वन संरक्षक द्वारा सभी नक्शे, एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट, खसरा मेप पर हस्ताक्षर किये जाने अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 की सूचना मुख्य वन संरक्षक उदयपुर से प्राप्त की [illegible] प्रस्तावित है। प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को वापस लौटाये जाने एवं सूचना भिजवाने पत्रावली आदेशार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।